उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

19/5/2017 राजस्व कैम्प अभियान न्याय आपके द्वार
2017 कैम्प ग्रामपंचायत [illegible] में पेश
की प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।
निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल
फाईल किया जाता है पत्रावली फैसल
शुमा. हो नकल [illegible] दी जावे।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या :– 95/2017

1. हीरा पिता उदा माली निवासी आटूण तहसील व जिला भीलवाडा।

–प्रार्थी

बनाम

1. प्रभुलाल पिता गोकल माली निवासी आटूण तहसील व जिला भीलवाडा।
2. धन्ना पिता गोकल माली निवासी आटूण तहसील व जिला भीलवाडा।
3. गोपीलाल पिता गोकल माली निवासी आटूण तहसील व जिला भीलवाडा।
4. लक्ष्मण पिता गोकल माली निवासी आटूण तहसील व जिला भीलवाडा।
5. कल्याण पिता गोकल माली निवासी आटूण तहसील व जिला भीलवाडा।
6. सुन्दर पुत्री गोकल माली निवासी आटूण तहसील व जिला भीलवाडा।
7. झुमा पुत्री गोकल माली निवासी आटूण तहसील व जिला भीलवाडा।
8. शंकर पिता मिट्ठु लाल निवासी आटूण तहसील व जिला भीलवाडा।
9. रामु पत्नी मिट्ठु लाल निवासी आटूण तहसील व जिला भीलवाडा।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

––विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू.–राज.अधि., 1956

निर्णय

दिनांक 19.05.2017

प्रार्थी के अधिवक्ता की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज. भू–राज.अधि., 1956 के तहत इस कार्यालय मे दिनांक 05.05.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम आटूण पटवार हल्का आटूण, भू–अभिलेख क्षैत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी संख्या 826 रकबा 01–18 बीघा, आराजी संख्या 827 रकबा 00–10 बीघा, आराजी संख्या 1476/2 रकबा 00–12 बीघा, आराजी संख्या 1485/2 रकबा 00–05 आराजी संख्या 1489 रकबा 00–15 बीघा आराजी संख्या 2670/1477 रकबा 00–09 बीघा, आराजी कुल किता 06 कुल रकबा 04–09 बीघा कृषि भूमि स्थित है। उक्त आराजी के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थी एंव विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें ।

प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। विपक्षीगण संख्या 01 से लगायत 09 उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से निःसंदेह है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है, वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अभिलेख मे किसी प्रकार से परिवर्तन होने का अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किए जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम आटूण पटवार हल्का आटूण, भू–अभिलेख क्षैत्र सुवाणा तहसील भीलवाडा में स्थित आराजी संख्या 826 रकबा 01–18 बीघा, आराजी संख्या 827 रकबा 00–10 बीघा, आराजी संख्या 1476/2 रकबा 00–12 बीघा, आराजी संख्या 1485/2 रकबा 00–05 आराजी संख्या 1489 रकबा 00–15 बीघा आराजी संख्या 2670/1477 रकबा 00–09 बीघा, आराजी कुल किता 06 कुल रकबा 04–09 बीघा कृषि भूमि की पत्थरगढी उक्त आराजी में फसल कट जाने के पश्चात 15 दिवस में उभय पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करा उभय पक्षकरान की उपस्थिति में करा देंवे। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील भीलवाडा में 500/– अक्षरे पॉच सौ रूपये बतौर खर्चा सरकारी मद में राजकोष मे जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/– रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार भीलवाडा विधिवत पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट भिजावे।

आदेश आज दिनांक 19.05.2017 को लिखाया जाकर शामिल फाईल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहें।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा